रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1981/श्रावण 19, 1903

No. 155] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1981/SRAVANA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 61-ई टी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1981

आयात व्यापार नियन्त्रण

विषय: कपास, ऊन, मानव निर्मित्त रेशों और उनके मिश्रण से बनी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, स्वीडन, फिनलैण्ड, और कनाडा को 1-1-1982 से 31-12-1982 तक निर्यात के लिए योजना।

मिसिल संख्या 2/40/81.—यह योजना (1) कपास, ऊन, मानव-निर्मित्त रेशों और उनके मिश्रण से बनी तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली, बेनिलक्स, यू०के० आयरिश गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) स्वीडन और कनाडा को और (2) कपास और मानव-निर्मित्त रेशों से बनी तैयार पोशाकों और सलाई से बने हुए वस्त्रों को फिनलैण्ड को 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए निर्यातों से संबंधित है।

2. कोटा आबंटन और निर्यात प्रमाणन के लिए अभिकरण

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूची परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् और ऊन व ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध है, जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्; नई दिल्ली (ए ई पी सी) कोटों का आबंटन करेगी और सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी परन्तु सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए कोटे का आबंटन ऊन व ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ई पी सी) द्वारा किया जाएगा। लेकिन, सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के संबंध में अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाएगा। कोटा निर्धारण और प्रमाणन के लिए अभिकरणों के संबंध में और कार्य के किसी भाग को किसी अन्य अभिकरण को हस्तान्तरित करने के संबंध में यथावांछित उपयुक्त परिवर्तन करने का सरकार का अधिकार सुरक्षित है।

3. आबंटन की पद्धति और मात्रा

(1) कोटा आबंटन की पद्धति और प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत आबंटन करने योग्य वार्षिक मात्रा निम्नलिखित अनुसार है:—

पद्धति	वार्षिक स्तर 1982 के लिए प्रतिशत
(1) भूतकालीन निष्पादन	45
(2) पहले आए सो पाए—पक्की संविदा आरक्षण	25
(3) पहले आए सो पहले पाए—तैयार माल (लघु आदेश)	20
(4) केन्द्रीय/राज्य निगम	5
(5) विनिर्माता-निर्यातक	5
	100

विनिर्माता निर्यातकों के लिए 1982 के लिए वार्षिक स्तर के 3 प्रतिशत को निरूपित करते हुए एक अतिरिक्त मात्रा अबंटनीय होगी, यह अतिरिक्त मात्रा द्विपक्षीय वस्त्र समझौतों में उपलब्ध नम्यता प्रावधानों में समायोजित की जाएगी।

(ii) द्विपक्षीय समझौतों में प्रदान की गई नम्यताएं यथावांछित उपयुक्त स्थान पर उपयोग करने का सरकार का अधिकार सुरक्षित है।

4. कोटा वर्ष का कोटा अवधियों में विभाजन और कोटों का अवधियों में विभाजन

(i) पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदा आरक्षण में और पहले आए सो पहले पाए के आधार पर—तैयार माल (लघु आदेशों) में कोटा आबंटन के उद्देश्य के लिए 1982 का कोटा वर्ष तीन अवधिओं में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् (i) जनवरी से अप्रैल (ii) मई से अगस्त, और (iii) सितम्बर से दिसम्बर। वार्षिक कोटे का 50 प्रतिशत प्रथम अवधि (जनवरी से अप्रैल), 35 प्रतिशत द्वितीय अवधि (मई से अगस्त) और 15 प्रतिशत तृतीय अवधि (सितम्बर से दिसम्बर) के लिए निर्धारित किया जायेगा।

(ii) सलाई से बुने हुए वस्त्रों (मोजा बनियान मदों) और सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऊनी उत्पादों की कुछ श्रेणियों के मामले में कोटा वर्ष में दो अवधियां—जनवरी से अगस्त और सितम्बर से दिसम्बर होगी। वार्षिक कोटों का विभाजन: जनवरी से अगस्त के दौरान 85 प्रतिशत और सितम्बर से दिसम्बर के दौरान 15 प्रतिशत होगा।

(iii) उपर्युक्त प्रतिशतता का समायोजन सरकार द्वारा विदेशी बाजारों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर किया जाएगा।

(iv) वर्ष के उपर्युक्त विभाजनों और आबंटनों की प्रतिशतता नीचे की कंडिकाओं में यथा-निर्धारित आबंटन की भूतकालीन निष्पादन पद्धति के संबंध में आशोधनों के अधीन होगी।

5. आबंटन की भूतकालीन निष्पादन पद्धति

(i) कोटा हकदारी का निश्चय करने के लिए अभिकरण—प्रत्येक निर्यात के संबंध में भूतकालीन निष्पादन पद्धति के अन्तर्गत कोटे की हकदारी की गणना के लिए अभिकरण परिधान निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रिया विधि निर्धारित करेंगे और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के कार्य का पर्यवेक्षण भी करेंगे।

(ii) भूतकालीन निर्यात निष्पादन की आधार अवधि:—कोटा हकदारी 1980 और जनवरी से जून 1981 के दौरान औसतन निर्यातों के आधार पर प्रत्येक देश-श्रेणी समूह के लिए निश्चित की जाएगी, बाद वाली अवधि पूर्ण वर्ष के रूप में गिनी जाएगी। 1982 के लिए एक निर्यातक की हकदारी का निश्चय उपर्युक्त आधार पर नीचे उप-कंडिका (iii) में यथा-निर्दिष्ट खंडों में किया जाएगा। किसी व्यक्तिगत निर्यात की हकदारी में बाद में किसी परिवर्तन के मामले में यथानुपात गणना की पूर्ण प्रक्रिया पुनः अपनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सम्बद्ध निर्यातक की हकदारी में उपयुक्त समायोजन करने की आवश्यकता है।

(iii) खंड-वार आबंटन और भूतकालीन निर्यात कोटों का उपयोग:—भूतकालीन निष्पादन पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक निर्यातक की हकदारी का निश्चय विशेष खंडों जैसे—सलाई से बुने हुए हथकरघा से बुने हुये एम एम/पी एल में प्रत्येक देश श्रेणी में उस (निर्यातक) के निष्पादन के संदर्भ के आधार पर यथा-नुपात किया जाएगा।

(iv) भूतकालीन निष्पादन के लिए कोटा अवधि:—1982 का पूर्ण वर्ष कोटा आबंटन के लिए एक ही अवधि समझा जाएगा। लेकिन, अभ्यर्पण 31 मई, 1982 से पहले ही कर देने होंगे। साख खाता निष्पादन बांड और पेशगी धन निक्षेप की शर्तें नीचे कंडिका 14 के अनुसार नियंत्रित किए जाएंगे।

(v) कोटों का हस्तान्तरण—भूतकालीन निष्पादन पद्धति के अन्तर्गत अधिकृत कोटे वर्ष के दौरान किसी भी समय या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में पौशाकों के अन्य पंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तान्तरित किए जा सकते हैं:—

(क) ऐसे हस्तान्तरित कोटों के मद्दे पोतलदान हस्तान्तरी के निर्यात के रूप में गिने जाएंगे।

(ख) हस्तान्तरी के अधिकार में हस्तान्तरित कोटे उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे जो हस्तान्तरण करने वाले के लिए लागू हैं।

(ग) यदि कोई कोटा 30 अप्रैल 1982, से पहले हस्तान्तरित किया जाता है और हस्तान्तरी उसको उस तारीख से आगे रखता है तो नीति के अनुसार उस तिथि से आगे उस कोटे को रखने के लिए हस्तान्तरी को बैंक गारंटी आदि का निष्पादन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि कोटा 30 अप्रैल, 1982 के बाद में हस्तान्तरित किया जाएगा तो हस्तान्तरी को हस्तान्तरण करने वाले के बदले में बैंक गारंटी देनी होगी जिससे कि वह कोटे का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हो जाए।

(घ) जिस निर्यातक ने अपना कोटा एक विशेष देश-श्रेणी में दूसरे निर्यातक को हस्तान्तरित किया हो वह उसी देश श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से कोटे का हस्तान्तरण मांगने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ङ) संविदा आरक्षण पद्धति के अन्तर्गत कोटों के धारकों को उसी देश-श्रेणी में उनके भूतकालीन निष्पादन कोटों को हस्तान्तरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. पहले आए सो पहले पाए—संविदा आरक्षण

इस पद्धति के अन्तर्गत साखपत्र द्वारा समर्पित पक्की संविदाओं के मद्दे पहले आए सो पहले पाए आधार पर आबंटन किए जाएंगे।

7. तैयार माल (लघु आदेश)

कोटों का आबंटन केवल लघु आदेशों के मामले में किया जायगा। लघु आदेश वे हैं जिनमें पौशाक कोटा मदों के लिए आदेश विभिन्न देश-श्रेणियों में निर्धारित मात्रा से अधिक न हों। जिस निर्यातक ने भूतकालीन निष्पादन कोटा के अन्तर्गत या पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण के अन्तर्गत कोटा आबंटन प्राप्त किया हो वह इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा। केवल वे निर्यातक जो 1 अगस्त, 1981 को या इससे पहले परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् से पंजीकृत हैं इस पद्धति के अन्तर्गत कोटा आबंटन के लिए पात्र होंगे। इस विषय पर वस्त्र आयुक्त आगे अनुदेश जारी करेंगे।

8. केन्द्रीय/राज्य निगम कोटा।

केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों के नियंत्रण के अन्तर्गत निगमों और केन्द्रीय/राज्य स्तर की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए एक अतिरिक्त कोटा आबंटन होगा जो वार्षिक स्तर के 5% से अधिक नहीं होगा। लेकिन आबंटन केवल इन निगमों/शिखर समितियों द्वारा किए गए सीधे निर्यातों के लिए किया जाएगा। गारंटी, साख-पत्र और जुर्माने की शर्तें वही होगी जो इस नीति में निर्धारित अनुसार निजी निर्यातकों के लिए लागू हैं। निगम/शिखर समितियां आबंटन की अन्य पद्धति के अन्तर्गत भी इस नीति में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर कोटा आबंटन के लिए पात्र होंगे। वस्त्र आयुक्त निगमों/शिखर समितियों के लिए कोटों की हकदारी का निश्चय करेगा।

9. विनिर्माता निर्यातक कोटा

आबंटन की इस प्रणाली के अन्तर्गत 8 प्रतिशत तक के कोटे विनिर्माता निर्यातकों को आबंटित किए जाएंगे। जबकि इसका 5 प्रतिशत 1982 के वार्षिक कोटा सत्र से काट लिया जायेगा, बाकी का 3% विभिन्न द्विपक्षीय वस्त्र समझौतों में नम्यता बरत कर आने वाली मात्रा में से पूरा किया

जाएगा। वस्त्र आयुक्त इस प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन के लिए पात्रता का निर्णय करेंगे जिसके लिए वे विस्तृत अनुदेश जारी करेंगे।

10. खण्ड-वार कोटों के लिए आरक्षण

(1) देश की श्रेणी कोटों के ऐसे मामलों में जहां हथकरघा और मिल निर्मित/शक्तिचालित करघे की मद मिश्रित है (अर्थात्, जहां हथकरघा पहनावे मालिक प्रतिबंध के अधीन है) यू०एस०ए० के मामले में मिल-निर्मित शक्ति करघों के लिए हथकरघा का अनुपात 2 : 1 का होगा। और अन्य देशों के मामले में 1 : 1 का होगा। लेकिन, निर्यातक को अपना सारा कोटा हथकरघा के लिए उपयोग करने के लिए स्वतन्त्रता होगी। उपर्युक्त अनुपात सलाई से तैयार किए हुए पहनावों (हौजरी) मदों के मामले में लागू नहीं होगा। सरकार का विदेशी मांग और कोटों के उपयोग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इन अनुपातों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

(2) सलाई से तैयार किए हुए पहनावों (हौजरी मद) के लिए संबंधित श्रेणियों में कोटे का 10% आरक्षण में रखा जाएगा।

(3) शिशुओं के पहनावों के लिए आरक्षण की आखरी तिथि सभी श्रेणियों में उस तिथि को उपलब्ध मात्रा का 10 प्रतिशत होगी।

(4) ऊनी वस्त्रों के मामले में, विशिष्टिकृत श्रेणियों में मात्रा के अनुसार आरक्षण होगा। वे सरकार द्वारा घोषित की जाएंगी।

11. मन्द गति वाली मदें

1. वर्तमान पूर्व पांच वर्ष (पंचांग वर्ष 1981) के दौरान अपनाई गई पद्धति के साथ-साथ मन्द गति वाली मदों के मामले में कंडिका 14(2) में यथा निर्धारित बैंक गारन्टियों और निक्षेपों को अलग कर दिया जाएगा, ये सदे वस्त्र आयुक्त द्वारा उसी उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अभिज्ञात की जाएंगी। अभिज्ञात मन्दगति वाली मदों के लिए केवल एक नाम-मात्र निक्षेप जो वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा आवश्यक होगा। पोतलदान की अवधि के संबंध में प्रतिबन्ध मन्द गति वाली मदों के मामले में लागू नहीं होंगे।

2. मन्द गति वाली मदों की पहचान के लिए 1981 के प्रथम चार महीनों का और 1980 का निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा। यदि संवर्ग के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1981 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्ण 1980 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 60% से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद मन्द गति वाली समझी जाएगी। लेकिन, सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग की प्रवृत्ति और कोटे के उपयोग की प्रगति के अनुसार ऐसा न्याय संगत हुआ तो सरकार कोटा वर्ष के दौरान कसौटी में परिवर्तन करेगी।

12. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम) मूल्य

प्रत्येक श्रेणी की पोशाकों के लिए केवल एक ही न्यूनतम मूल्य होगा। बच्चों की पोशाकों के लिए कोई पृथक न्यूनतम मूल्य नहीं होगा। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा। उनको निर्धारित करते समय वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देगा जिनमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को मन्द गति वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं।

13. कटौती मूल्य

पहले आए सो पहले पाए संविदा अनुरक्षण और पहले आए सो पहले पाए तैयार माल (छोटे आदेशों के लिए) के मामले में प्रस्तावों का चयन एक विशेष देश-श्रेणी के लिए आवेदन पत्रों जो उपलब्ध कोटा स्तर से अधिक के लिए होंगे, के प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में आवंटन एकक मूल्य के आधार पर किया जाएगा और आवंटन के लिए उच्च एकक मूल्य मापदण्ड होगा।

14. साख-पत्र, पेशगी धनराशि निक्षेप, बैंक गारन्टी और जुर्माने

1. सभी पोशाकों और बुने हुए सूती, ऊनी और मानव निर्मित पोशाकों के लिए कोटा आवंटन साख-पत्र की शर्तों के आधार पर किया जाएगा। पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण और केन्द्र/राज्य निगमों के मामले में साख पत्र आवेदन-पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए। पूर्व कालीन निष्पादन विनिर्माता निर्यातकों और तैयार माल के कोटा के मामले में साख-पत्र कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के समय भेजा जाना चाहिए।

2. आवंटित कोटे के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 10% को शामिल करते हुए पेशगी धनराशि निक्षेप (ई०एम०डी०) आवंटन की सभी पद्धतियों में भेजा जाना चाहिए किन्तु यह अभिज्ञात मन्द गति वाली मदों और यू०एस०ए० 641 श्रेणी से भिन्न नियंत्रित और गैर-सूक्ष्म मदों के मामले में लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए तैयार माल को छोड़कर अपेक्षित बैंक गारन्टी के साथ निष्पादन बन्धपत्र आवंटन की सभी पद्धतियों में निष्पादित किया जाएगा। तैयार माल के मामले में पेशगी धन निक्षेप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए। पूर्व कालीन निष्पादन कोटा के मामले में निर्यातक को प्रथम अवधि अर्थात् जनवरी-अप्रैल, 1982 के दौरान पोतलदान कर दी गई मात्रा के लिए पेशगी धनराशि निक्षेप भेजना आवश्यक नहीं लेकिन, बैंक गारन्टी के साथ निष्पादन बन्धपत्र रखी गई मात्रा के लिए निर्धारित दर के आधार पर भेजा जाएगा। ऐसी बैंक गारन्टियों को भेजने की अन्तिम तिथि 31 मई, 1982 है। 30 अप्रैल, 1982 के बाद किन्तु बैंक गारन्टी भेजने से पूर्व किए गए पोतलदानों (जो 31 मई, 1982 से पूर्व होने चाहिए)।

3. तैयार माल को छोड़कर कोटा पृष्ठांकन 21 दिनों के लिए वैध होंगे और वे इस शर्त के अधीन होंगे कि सभी पृष्ठांकनों की वैधता, सम्बद्ध कोटा अवधि के लिए 10 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगी। तैयार माल के मामले में सभी पृष्ठांकन केवल 10 दिनों के लिए वैध होंगे।

4. निर्यातक जो भूतकालीन निष्पादन के अधीन या आवंटन की अन्य पद्धतियों के अधीन किसी विशेष अवधि में उसे पूरे वर्ष के दौरान आवंटित कोटे के 90% से कम का निर्यात नहीं करता है तो उसको दण्ड का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो निर्यातक 75% से कम का नहीं किन्तु 90% से कम का निष्पादन करता है उसे उपयुक्त दण्ड देना पड़ेगा। यदि आवंटित कोटे का उपयोग 75% से कम होता है तो निर्यातक के निष्पादन बाण्ड/पेशगी धन निक्षेप को जब्त कर लिया जाएगा। जहां कहीं भी बाध्यकारी शर्तें उत्पन्न होती हों, यह उनके अधीन होगा।

5. उन मामलों में जहां पर वैध अवधि के भीतर आवंटित कोटे का उपयोग 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो निर्यातक को कोटा वर्ष के भीतर दूसरे आवंटन की अवधि वृद्धि की मांग करने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। समय वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध कोटा अवधि के समाप्त होने के एक महीने के भीतर भेजना चाहिए। ऐसे मामलों में निर्यातक को शेष मात्रा के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 20% तक के लिए बैंक गारन्टी के साथ एक बन्धपत्र देना पड़ेगा। पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने के मामले में बन्धपत्र और बैंक गारन्टी को जब्त कर लिया जाएगा।

6. वे व्यक्ति जिन्हें कोटे आवंटित किए जाते हैं किन्तु वे उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें और आगे कोटा देने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

15. पेशगी की धन राशि निक्षेप को जब्त करने के विरुद्ध अपील

कोटे के उपयोग न करने के लिए जुर्माने की उगाही के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के प्रयोजनार्थ गत वर्ष निम्नलिखित क्रियाविधि आरम्भ की गई थी। वही क्रियाविधि 1982 में भी लागू रहेगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जुर्माने की उगाही पर सम्बद्ध निर्यातक ऐसी जुर्माने की उगाही की सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बम्बई को उगाही के सदे अपील कर सकता है, वस्त्र आयुक्त ऐसे प्रतिवेदन के प्राप्त होने के

बाद शीघ्र अति शीघ्र निर्णय देगा। यदि निर्यातक किसी भी प्रकार वस्त्र आयुक्त के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह निर्णय के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग को की जाए और उस पर सरकार द्वारा स्थापित की गई अपील समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

16. कोटा आवंटन का पर्यवेक्षण

वस्त्र आयुक्त बम्बई कोटा नियंत्रण से संबंधित मामलों पर दिन-प्रति-दिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। एक समन्वय समिति, जिस के वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और सम्बंध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, कम से कम महीने में एक बार नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करेगी। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

17. कोटा नियंत्रण के अधीन उत्पादों की सीमा शुल्क द्वारा निकासी

पोतलदान की अनुमति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य उपर्युक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में पोतलदान की अनुमति देने से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारी इस के प्रति निधियों सहित, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकृत निकाय द्वारा जारी किए गए विशेष सीमा शुल्क बीजक पर कोटा पृष्ठांकन भी सत्यापित करेंगी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों और कनाडा और फिनलैंड को निर्यात के संबंध में कोटा पृष्ठांकन के साथ संबंध परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत कोई अन्य निकाय निर्यात प्रमाण-पत्र और व्यक्तिगत श्रेणी सीमाएं रखने वाली श्रेणियों के लिए उद्गम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यूरोपीय आर्थिक राज्यों के मामले में व्यक्तिगत श्रेणी सीमाएं न रखने वाली श्रेणियों के संबंध में उद्गम प्रमाण-पत्र शक्तिचालित करघे-सिलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए जारी किया जाएगा।

18. हथकरघा उत्पाद की सीमा शुल्क द्वारा निकासी

जहां तक यू०एस०ए०, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों और कनाडा को निर्यात का संबंध है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों के बारे में 7, 8, 26 और 27 से भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा वस्त्रों से बनाए हुए पहनावों का और कनाडा के बारे में मद 2 और 4 का पोतलदान वस्त्र समिति द्वारा प्रमाण-पत्र के आधार पर और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या अन्य संबंधित प्राधिकृत निकायों द्वारा गैर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क द्वारा अनुमत किया जाएगा। श्रेणी 336, 340, 341, 347 और 348 के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा पहनावों का यू०एस०ए० को निर्यात करने के मामले में वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस प्रयोजन के लिए मनोनीत किसी अन्य प्राधिकृत निकाय के आधार पर जारी किया जाएगा।

19. भारतीय मदों के लिए क्रिया विधि

उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यू०एस०ए०, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदान सीमा शुल्क द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुमत किया जाएगा। 'भारतीय मद' के रूप में विशिष्टि कुछ मदों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा या किसी अन्य विधिवत प्राधिकृत निकाय द्वारा किसी कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

20. जहाजरानी दस्तावेजों के रूप में औपचारिकताएं

पोतलदान के लिए जब भी प्रेषण तैयार हो जाता है, तो निर्यात कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए और आवश्यक निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए इस प्रयोजन के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद् या उसके अन्तर्देशीय पत्तन प्रतिनिधियों को आवश्यक जहाजरानी दस्तावेज (जिसमें दो प्रतियों में जहाजरानी बिल भी शामिल है) और पोतलदान के अन्तर्गत आने वाले माल के ब्यौरों को पूरा करने वाले आवेदन-पत्र प्रफार्मा की दो प्रतियों में कोटा प्रमाण-पत्र के साथ भेजेगा। उसके बाद, दस्तावेज सीमा शुल्क को जहाजरानी बिल और अन्य औपचारिकताएं पूरा करने के लिए भेजे जाएंगे। तैयार माल के मामले में, जहाजरानी दस्तावेज जिसमें जहाजरानी बिल भी शामिल है, इस प्रयोजन के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद या उसके अन्तर देशीय पत्तन की प्रतिनिधियों को पोतलदान के पत्तन पर सीमाशुल्क द्वारा जहाजरानी बिलों को नोट करने से पहले कोटा पृष्ठांकन के लिए भी भेजे जाएंगे। इन सभी मामलों में पोत वणिकों को उन संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों या उसके अन्तरदेशीय पत्तन के प्रतिनिधियों से जिनसे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त किया है जहाजरानी बिल की संख्या और दिनांक की सूचना उसे सीमा-शुल्क से प्राप्त करने के बाद देनी पड़ेगी।

21. निर्यात प्रमाण-पत्र/बिसा बिक्रेता के लिए है और इसलिए यह परिषद से प्राप्त कर लेने के बाद पोतवणिक द्वारा उसके बिक्रेता को अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ भेजना पड़ेगा।

22. निर्यात भारत में किसी भी पत्तन से स्वीकृत किया जाएगा।

23. सरकार को पहले के किसी भी उपबन्धों का संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

24. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के पते नीचे दर्शाए गए अनुसार

1. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सहयोग भवन, चौथी मंजिल, 88 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019।
2. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, 714 अशोक इस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001।

मणि नारायणस्वामी,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 61-ETC(PN)/81

New Delhi, the 10th August, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

Sub : *Scheme for exports under OGL-3 of Garments and Knitwears made from Cotton, Wool, man-made fibres and blends thereof to USA, EEC member-States, Sweden, Finland and Canada from 1-1-1982 to 31-12-1982.*

File No. 2/40/81.—This scheme relates to the exports of certain ready-made garments and knitwear items of (i) cotton, wool, man-made fibres and blends thereof to USA, EEC Member-States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic, Denmark and Greece), Sweden, Canada and (ii) cotton and man-made fibres to Finland for the period 1 January, 1982 to 31 December, 1982.

2. Agencies for quota Allotment and Export Certification.—The list of categories of textile products covered under the scheme are available with the Apparels Export Promotion Council and the Wool and Woollens Export Promotion Council. Unless otherwise directed, the Apparels Export Promotion Council, New Delhi (AEPC) will allocate quotas

and do the necessary certification for all garments and knitwear except that quota allocation for woollen knitwear will be done by the Wool and Woollen EPC, New Delhi (W&WEPC). However, in respect of woollen knitwears, necessary certification will be done by the Apparels Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes as considered appropriate with regard to the agencies for quota allocation and certification and with regard to transfer of any part of the work to any other agency.

3. Systems and quantum of allotment.—(i) The systems of quota allotment and the annual quantities allocable under each system are as follows :—

System	Per cent to the annual level 1982
(i) Past performance	45
(ii) FCFS-Firm Contract Reservation	25
(iii) FCFS-Ready Goods (small Orders)	20
(iv) Central/State Corporation	5
(v) Manufacturer-Exporters	5
	100

For manufacturer-Exporters, an additional quantity representing 3 per cent of the annual level for 1982 shall be allocable, the additionality being accommodated from the flexibility provisions available in the bilateral textile agreements.

(ii) Government reserves the right to use flexibilities provided in the bilateral agreements as considered appropriate.

4. Division of the quota year into quota periods and appointment of quotas among periods (i) For the purpose of quota allocation in FCFS Firm Contract Reservation and FCFS—Ready Goods (Small Orders), the quota year of 1982 will be divided into three periods, viz. (i) January to April, (ii) May to Augst and (iii) September to December. 50 per cent of the annual quota will be allocated for the first period (January to April). 35 per cent for the second period (May to August) and 15 per cent for the third period (September—December).

(ii) In the case of knitwears (hosiery items) and certain categories of woollen products to be specified by Government, the quota year will have two periods ; January to August and September to December. The apportionment of the annual quotas will be : 85 per cent during January to August and 15 per cent during September-December.

(iii) The above percentages may be readjusted from time to time by Government depending upon trends in overseas markets.

(iv) The above divisions of the year and the percentages of allocation will be subject to modifications in regard to the past performance system of allotment as set forth in the following paragraphs.

5. Past Performance System of Allotment

(i) Agency for determination of quota entitlements.—The agency for calculation of the entitlement of quota under past performance system in respect of each exporter will be the Apparels Export Promotion Council, New Delhi. Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and also supervise the work of the AEPC.

(ii) Base period of Past export performance.—The quota entitlement will be determined for each country-category combination on the basis of the average of exports during 1980 and during January to June, 1981, the latter period being counted as full year. The entitlement of an exporter for 1982 will be determined on the above basis, segment-wise, as indicated in sub-para (iii) below. In case of any subsequent change in the entitlement of an individual exporter, the entire exercise of pro-rata calculation need not be re-opened but suitable adjustments made in the entitlement of the exporter concerned.

(iii) Segment-wise allotment and utilisation of PP quotas.—The entitlements of each exporter under the past performance system will be determined on pro-rata basis with reference to his performance in each country-category in particular segments such as knitted, Handlooms, MM/PL.

(iv) Quota period for past performance.—The whole year of 1982 will be treated as one period for quota allocation. Surrenders, however, shall have to be made before May 31, 1982. The L|C, performance bond and EMD conditions will be reguluated as in para 14 below.

(v) Transferability of quotas.—The entitled quotas under the past performance system are transferable either in full or in part to another registered exporter of garments at any time during the year subject to the following terms and conditions.

(a) Shipments against such transferred quotas will be counted as the exports of the transferee.

(b) The transferred quotas in the hands of the transferee will be subject to the same terms and conditions as those applicable to the transferor.

(c) If a quota is transferred prior to 30th April, 1982 and the transferee retains it beyond that date, he will be obliged to execute Bank guarantee etc. for retaining them beyond this date in terms of the policy. Similarly, if a quota is transferred after 30th April, 1982, the transferee will be obliged to execute a bank guarantee in lieu of the transferer so that he becomes responsible for the utilisation of the quota.

(d) An exporter who has transferred his quota in a particular country-category to another exporter will not be eligible for seeking a transfer of quota from any other exporter to himself in the same country-category.

(e) Holders of quotas under the contract Reservation system will not be allowed to transfer their PPQs in the same country-categories.

6. FCFS Contract Reservation

Under this system allotments will be made on First come First served basis against firm contracts backed by Letter of Credit.

7. Ready Goods (Small Orders).

Allotment of quotas shall be made only in the case of small orders. Small orders are those where the orders for garment quota items do not exceed specified quantities in different country-categories. An exporter who has got any quota allotment under PPQ or under FCFS Contract Reservation will not be eligible for allotment under this system. Only those exporters who are registered with the Apparels Export Promotion Council on or before 1st August, 1981 will be elibile for quota allotment under this system of allocation. The Textile Commissioner will issue further instructions on this subject.

8. Central|State Corporation Quota.

For Corporations under the control of the Central|State| Union Territory governmens and Apex Cooperative Handloom Marketing Societies at the Central|State levels, there will be a special allocation not exceeding 5 per cent of the annual level. The allocation will however be made only for direct exports by these Corporation Apex societies. Gunrantees, L/C and penalty provisions will be the same as applicable to private exporters as laid down in this policy. The Corporations/Apex societies will also be eligible for allotment of quotas under other systems of allotment subject to fulfilment of conditions laid down in the policy. The Textile Commissioner will determine the entitlement of quotas to the Corporations|Apex societies.

9. Manufacturer-Exporters' quota.

Under this system of allotment, quotas to the extent of 8 per cent will be allotted to Manufacturer-Exporters. While 5 per cent of this will be out of the annual quota level for 1982, the remaining 3 per cent will be accommodated out of qualities forth-coming by operating flexibilities in the various bilateral textile agreements. The Textile Commissioner will decide on the eligibility for allotments under this system for which he will issue detailed instructions.

10. Reservations for segment-wise quotas.—(i) In the case of country-category quotas where handlooms and mill-made|powerloom items are combined (i.e. where handloom

garments are subject to qauntative restraint), the ratio of handlooms to MM/PL will be 2:1 in the case of USA and 1:1 in the case of other countries. An exporter is however, free to utilise his entire quota on handlooms. The above ratio will not be applicable in the case of knitwear (hosiery) items, Government reserves the right to make changes in these ratios depending upon trends in overseas demand and utilisation of quotas.

(ii) For knitwears (Hosiery items), there shall be a reservation of 10 per cent of the quota in the concerned categories.

(iii) For children's garments, reservation on the terminal date will be 10 per cent of quantities available on that date in all categories.

(iv) For woollen garments, there will be reservation in terms of quantities in specified categories. These will be announced by Government.

11. Slow-moving Items.

(i) In line with the practice followed during the current ante-year (calendar year 1981) Bank Guarantees and deposits as stipulated in para 14 (ii) will be dispensed with in the case of the slow-moving items, specially identified for that purpose by the Textile Commissioner. For the idenified slow-moving items, nominal deposit, as prescribed by the Textile Commissioner, would only be required. Restriction regarding shipment period will not apply in respect of slow moving items.

(ii) For identification of slow moving items, performance during the first 4 months of 1981 and performance during 1980 will be taken into account. An item would be termed slow-moving if during the period under reference its exports have not exceeded 60 per cent of the quota earmarked for the first period of 1981 or during the entire year 1980. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the quota year if warranted by the demand trend and pace of utilisation of quotas.

12. Minimum Export (Floor) Prices

There shall be only one floor-price for category of garments. No separate floor-price will be prescribed for childrens' garments.The Textile Commissioner will prescribe the floor prices. In determining them, he will take into account all relevant factors including the fact whether a particular garment items has been identified as a slow-moving one or not.

13. Cut off prices

In the case of FCFS Contract Reservation and FCFS Readygoods (small orders), a choice among offers may have to be made in the event of applications received for a particular country-category exceeding the available quota level. In such an eventuality, allotments will be made on the basis of unit price, higher unit price being the criterion for allotment.

14. Letter of Credit, Earnest Money Deposit, Bank Guarantee and Penalties

(i) The quota allocation for all garments and knitwears cotton, woollen and man-made will be made on L|C terms. L|Cs should be operative, valid and irrevocable. In the case of FCFS-Contract Reservation and Central|State Corporations, L|Cs should be submitted along with the application. In the case of past performance, manufacturer-exporters and Ready-goods quotas, L|Cs should be produced at the time of obtaining quota endorsements.

(ii) Earnest Money Deposits (EMD) covering 10 per cent of the f.o.b. value of the quota applied for, should be furnished in all systems of allocations except for identified slow-moving items and non-restrained non-sensitive items other than category 641-USA. For this purpose Performance Bond backed by requisite bank guarantee shall be executed in all systems of allotment except Ready goods. In the case of Ready goods, EMD should be through Bank draft. EMD has to be furnished along with the application for quota allotment in the case of all systems of allotment except Past Performance. In the case of Past Performance quota, an exporter need not furnish EMD for quantities shipped during the first period i.e. January-April, 1982. However, Performance Bond with bank guarantees shall be furnished at the stipulated rates for the retained quantity. The last date for production of such bank guarantees is May 31, 1982. Shipments effected after April 30, 1982, but before submission bank guarantees (which should be before May 31, 1982) need not be covered by bank guarantees.

(iii) Quota endorsements shall be valid for 21 days, except in the case of Ready goods, subject to the conditions that validity of all endorsements shall expire after 10 days of the concerned quota period. In ready goods all endorsements will be valid for only 10 days.

(iv) An exporter, who exports not less than 90 per cent of the quota allotted to him within the whole year under past performance or in a particular period under other systems of allotment, will not be liable for payment of penalty. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will have to pay proportionate penalty. If the utilisation of quota allocation is less than 75 per cent, the exporter will be liable for forfeiture of his performance bond/earned money deposit in full. This will be subject to conditions of force majeur, wherever, they arise.

(v) In case where the utilisation of quota allocation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the quota year. Applications for extension should be filed within one month of the end of relevant quota period. In such cases, the exporter will have to execute a bond, supported by a Bank Guarantee, to the extent of 20 per cent of the f.o.b. value of the balance quantity. In case of his failure to export fully, the Bond and the Bank Guarantee will be liable to be forfeited in full.

(vi) Persons to whom quotas are allotted but who do not utilise them fully would consider themselves liable to disqualification from getting quotas in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

15. Appeal Against Forfeiture of EMDS

For the purpose of giving due consideration to representations made by exporters against levy of penalties for non-utilisation of allotted quotas, the following procedure was introduced last year. The same procedure will be continued during 1982 also. Upon levy of a penalty by the Apparels Export Promotion Council the exporter concerned can appeal against the levy to the Textile Commissioer, Bombay within 15 days of receipt of the Communication conveying such a levy. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealth with by an Appellate Committee constituted by Government.

16. Supervision Over Quota Allotment

The Texile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to quota administration. A quota Coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representative of the concerned EPCS as members will review the operation of the policy once a month. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

17. Clearance by Customs of Products under Quota Restraint.

Shipments will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued b ythe Apparels Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose. In respect of USA however, before allowing shipments the customs authorities would also verify the visa endorsement on the special customs invoice No. 5515 issued by the Apparels EPC or any authorised agency designated for this purpose including their representatives. In respect of exports to EEC Member-States, Canada and Finland, along with quota endorsement, the Appaels Exports Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf will issue export certificate and certificate of origin for Categories having individual category limits. In the case

of EEC, certificate of origin in respect of categories not having individual category limits will be issued for power-loom/knitted garments.

18. Clearance by Customs of Handloom Products

In so far as exports to U.S.A., EEC and Canada of woven garments made from handloom fabrics falling under categories other than categories 7, 8, 26 and 27 in respect of EEC and items 2 and 4 in respect of Canada, shipments will be permited by the ustoms on the basis of the certificaion by he Textile Commmittee and none quota endorsement by the Apparels Export Promoion Council or other authorised bodies concerned. In the case of handloom garments falling under categories 336, 340, 341, 347 and 348 for export to USA, certification by the Textiles Committee will be issued on the basis of the quota allotment by the Apparels Export Promotion Council or any other authorised body designated for this purpose.

19. Procedure for India Items

In respect of 'India items' which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Cusoms for exports to USA, EEC and Canada on the basis of appropriate certificates issued by the All India Handicrafts Board or the Textile Committee. For items specified as 'India Items' nonquota endorsement by the Apparels Export Promotion Council or by any other duly authorised body will also be required.

20. Formalities as to shipping documents

Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including shipping bills in duplicate) and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up country port representative along with quota certificate for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate. Thereafter, the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In the case of ready goods, the shipping documents including shipping bills will also be submitted to the Export Promotion Council designated for this purpose or its upcountry port representatives for quota endorsement before the shipping bills are noted by the Customs at the port of shipment. In all these cases the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its upcountry port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

21. The Exports Certificate/visa is meant for the buyer and hence the same after being obtained from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer along with other connected documents.

22. Exports will be allowed from any port in India.

23. Government reserves the right to make amendment to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

24. The address of the concerned Export Promotion Council are as follows :—

1. The Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019.

2. The Wool and Woollens Exports Promotion Council 612/714, Ashoka Estate 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981